

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू०,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग-१०

विषय: बाढ़ से प्रभावित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष २००९-१०
में कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में धनावंटन।

लखनऊ : दिनांक : १५ अक्टूबर, २०१२

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-१८७/राहत लिपिक/२०१२-१३,
दिनांक-३१ अगस्त, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ से
प्रभावित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष २००९-१० में सिंचाई
विभाग के ०२ कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु मांगी गयी धनराशि रु० १,००,२२,०००/-
के सापेक्ष ५० प्रतिशत धनराशि के रूप में वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निम्नलिखित शर्तों एवं
प्रतिबन्धों के अधीन रु० ५०,११,०००/- (रूपये पचास लाख ग्यारह हजार मात्र) आपके
निवारण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के
आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीषक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति
के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य
व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला
जायेगा।

३. इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/
शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी
भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। प्रकरण में कराये गये कार्यों की
विडियोग्राफी/फोटोग्राफी का सत्यापन करते हुये स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की
गई धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण
पत्र शासन को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

४. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-७८/पी०ए०आ०२०/२०१२, दिनांक
२४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/२०११-NDM-१, दिनांक १६.०१.२०१२
में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं शासनादेश
सं० २७८५/१-१०-२०११-१२(७३)/२००८, दिनांक १४.१०.२०११ के अनुसार किया
जायेगा।


5. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2359/1-10-2012-12(34)/2011 टी०सी०-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2— आयुक्त बस्ती मण्डल, बस्ती।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- 4— उरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
- 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9— निर्जी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ०प्र० शासन।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Rm'd.

(आर० एन० हिवेदी)
अनु सचिव।